रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ): (क) रेलों ने कोयले के संचलन के लिए कोटे की सभी सीमाएं समाप्त कर दी हैं। गुजरात राज्य सहित राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उद्योगों के लिए कोयले का संचलन प्रायोजित करने के लिए कहा गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Construction of Railway Station at Senthil Nagar, Madras

7197. SHRI N. GIRI PRASAD: Will the Minister RAILWAYS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2227 given in the Rajya Sabha on the 10th August, 1994 and state:

(a) whether it is a fact that the Southern Railway had conducted survey into the demand for opening of a halt station at Senthil Nagar and found that the traffic projections proved that the halt would be remunerative and had included the project with the estimated costs of Rs. 24 lakhs in the work programmes of 1992-93 and again in 1993-94; and

(b) if so, the reasons for not sanctioning the project in the budget for 1995-96, considering the popular demand and the feasibility of the project?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b) The proposal for opening of a halt station at Senthil Nagar between Ambattur and Annanur stations was examined in the past. The proposal could not be approved due to substantial capital cost involved and heavy recurring losses. The work will be considered for inclusion in the future Works Porgramme, keeping the latest developments in view and subject to availability of funds.

रेल कर्मचारियों को पेंशन की देय धनराशि का भुगतान न किया जाना

7198. श्रीमती मालती शर्मा:
श्री राजनाथ सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शाहदरा-सहारनपुर रेलवे कंपनी के रेलवे में शामिल किए गए उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जो उनकी रेलवे कंपनी तथा उत्तर रेलवे में की गई सेवा को मिलाने के बाद सेवानिवृत्त हुए;

(ख) क्या यह सच है कि इस तथ्य के होते हुए भी, सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दोनों सेवाओं को मिलाने के बाद उनकी पेंशन का भुगतान नहीं किया है कि नियमावली के नियम 405(1) के अनुसार भारतीय रेलवे में प्रवेश पाने वाले या सीधी नियुक्ति पाने वाले कंपनी के इन कर्मचारियों को पेंशन देने के प्रयोजनार्थ कंपनी तथा उत्तर रेलवे में उनके द्वारा की गई सेवाओं को मिलाया जाएगा; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" हो, तो सरकार द्वारा इन सभी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों को निपटाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा होने वाले हैं तथा इन कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों का निपटान कब तक होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ): (क) शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे कम्पनी के कर्मचारियों की रेलवे में भर्ती नव नियुक्तों के रूप में की गई थी, और उन्हें समाहित नहीं किया गया था। अत: मौजूदा आदेशों के अनुसार कम्पनी रेलवे में उनकी सेवाएं सेवानिवृत्त पर रेलवे सेवा में जोड़ी नहीं गई थी।

(ख) से (घ) शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे कर्मचारियों की रेलवे में नियुक्ति पर सेवा शर्तों को शासित करने वाले अनुदेश इस प्रमुख तथ्य को ध्यान में रखते हुए पृथक रूप से बनाए गए थे कि कम्पनी का सरकार ने परिसंपत्तियों और देयताओं सहित अधिग्रहण नहीं किया था। अत: उक्त अनुदेशों में रेल पेंशन नियम पुस्तिका के पैरा 405(1) में व्यवस्थित पेंशनीय लाभों के लिए कम्पनी रेलवे सेवा की गणना के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

वैगनों के लिए बोली

7199. श्री दीपांकर मुखर्जी:
श्री मोहम्मद सलीम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 10,282 वैगनों (एफडब्ल्यू.यू.) की निविदा की तुलना में 14 फरवरी, 1995 को सबसे कम बोली लगाने वाले व्यक्ति ने केवल 4056 एफडब्ल्यू.यू. का निर्माण करने की अपनी अधिष्ठापित क्षमता के बावजूद सभी वैगनों के लिए अपनी कोटेशन दी है; और